

प्रेस-विज्ञप्ति
संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

निर्णय की तारीख: 26.09.2018

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 को मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 (एनडीसीपी-2018) को मंजूरी दी गई है और दूरसंचार आयोग को "डिजिटल संचार आयोग" के रूप में पुनः नामित किया गया है।

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 देशव्यापी, लचीली और वहनीय डिजिटल संचार अवसंरचना और सेवाओं की स्थापना द्वारा नागरिकों और उद्यमियों की सूचना एवं संचार की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भारत के डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था और समाज के रूप में परिवर्तन में समर्थन की परिकल्पना करती है। इस नीति के मुख्य उद्देश्य हैं: सभी के लिए ब्रॉडबैंड का प्रावधान करना; डिजिटल संचार क्षेत्र में 4 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित करना; भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में डिजिटल संचार क्षेत्र के योगदान को वर्ष 2017 में 6 प्रतिशत की तुलना में इसे बढ़ाकर 8 प्रतिशत करना; आईटीयू की आईसीटी विकास सूची में भारत वर्ष 2017 में 134वें स्थान पर था, इसे सर्वोच्च 50 देशों में लाना; वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के योगदान को बढ़ाना; और डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करना। इन उद्देश्यों को वर्ष 2022 तक प्राप्त किया जाना है।

अन्य बातों के साथ-साथ इस नीति का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को 50 एमबीपीएस पर सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना; भारत की सभी ग्राम पंचायतों को वर्ष 2020 तक 1 जीबीपीएस और वर्ष 2022 तक 10 जीबीपीएस कनेक्टिविटी प्रदान करना; कवर न किए गए सभी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना; डिजिटल संचार क्षेत्र में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश को आकर्षित करना; नए युग के कौशल निर्माण के लिए 1 मिलियन जनशक्ति को प्रशिक्षण देना; 5 बिलियन कनेक्टेड उपकरणों तक आईओटी पारिस्थितिकी का विस्तार करना; डिजिटल संचार के लिए व्यापक डाटा सुरक्षा प्रणाली स्थापित करना जो व्यक्तियों की गोपनीयता, स्वायत्तता और विकल्पों की रक्षा करेगी और वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत की प्रभावशाली भागीदारी की राह आसान करेगी; और उपयुक्त संस्थागत तंत्र के माध्यम से जवाबदेही तय करना ताकि नागरिकों को सुरक्षित और निरापद डिजिटल संचार अवसंरचना और सेवाओं का आश्वासन दिया जा सके।

यह नीति, राष्ट्रीय फाइबर प्राधिकरण के गठन के माध्यम से राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड की स्थापना करने; सभी नए शहरों और राजमार्ग सड़क परियोजनाओं में सार्वजनिक सेवा डक्ट और सुविधा कॉरीडोर स्थापित करने; समान मार्गाधिकार, लागत एवं समय-सीमा के मानकों के लिए केन्द्र, राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच सहयोगात्मक संस्थागत तंत्र सृजित करने; अनुमोदन के प्रतिबंधनों को हटाने; और ओपन एक्सेस नेक्सट जेनरेशन नेटवर्क के विकास में सहायता करने की पैरवी करती है।

पृष्ठभूमि :-

1. वर्तमान विश्व ने दूरसंचार क्षेत्र में 5जी, आईओटी, एम2एम इत्यादि जैसे आधुनिक प्रौद्योगिकीय उन्नति के युग में प्रवेश किया है, जिससे भारतीय दूरसंचार क्षेत्र के लिए 'उपभोक्ता केंद्रित' और 'एप्लीकेशन द्वारा संचालित' (एप्लीकेशन ड्रिवन) नीति को आरंभ करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जो न केवल दूरसंचार सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अपितु दूरसंचार आधारित सेवाओं का विस्तार करने के लिए भी उभरते हुए अवसरों का पता लगाते हुए डिजिटल इंडिया का मुख्य स्तंभ बन सके।

2. तदनुसार, भारत की डिजिटल संचार क्षेत्र की नई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 के स्थान पर नई राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 तैयार की गई है।